

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 382 / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016  
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 वाणिज्य पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 वाणिज्य पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0 पंकज कुमार वशिष्ठ	स0अ0 वाणिज्य रा0इ0का0 कल्जीखाल पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
2	श्री चेतन प्रकाश तिवारी	प्रवक्ता वाणिज्य रा0इ0का0 गंगोलीहाट पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
3	श्री राजेश कुमार राय	स0अ0 वाणिज्य रा0इ0का0 नौला अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

  
(आर0 कुं0 कुं0वर)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / ५२३५-५४ / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
4.6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 383 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016

### विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0 जयेन्द्र सिंह कटैत	प्रवक्ता रसायन विज्ञान रा0इ0का0 विनकखाल टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	डा0 संजीवन सिंह	प्रवक्ता रसायन विज्ञान रा0इ0का0 गंगाऊ पोड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
3	श्री मुकुल कुमार पाल	टी0जी0टी0 विज्ञान रा0गां0न0वि0 कोटाबाग नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
4	श्री तारकेश्वर प्रसाद यादव	पी0जी0टी0 रसायन विज्ञान रा0गां0न0वि0 लोहाघाट चम्पावत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत
5	श्री बीरेन्द्र सिंह जेट्टी	प्रवक्ता रसायन विज्ञान रा0इ0का0 रामपुर रुद्रप्रयाग	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोडा


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन / एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

  
(आर0 के0 क्लर)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7 249-62 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
M-6-16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून  
आदेश संख्या/ 384/उ0आ0वि0स0/रा0गां0न0वि0/प्रतिनियुक्ति/2016-17 दिनांक 04 जून 2016  
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 अर्थशास्त्र पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 अर्थशास्त्र पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0 सुशील सिंह राणा	टी0जी0टी0 रा0गां0न0वि0 ननूरखेड़ा देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	डा0 अनिल कुमार शर्मा	प्रवक्ता अर्थशास्त्र रा0गां0न0वि0 शिकारपुर हरिद्वार	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
3	डा0 अच्युत कुमार सिंह	पी0जी0टी0 अर्थशास्त्र रा0गां0न0वि0 लोहाघाट चम्पावत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
4	श्री अशोक कुमार मुयाल	प्रवक्ता अर्थशास्त्र रा0इ0का0 थाती बूढाकेदार टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी
5	श्रीमती प्रमिला	स0अ0 रा0उ0मा0वि0 भमरईखाल पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार पौड़ी
6	श्रीमती गीता पंत जोशी	प्रवक्ता अर्थशास्त्र रा0इ0का0 उच्छैती पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत
7	श्री सुरेश कुमार	प्रवक्ता अर्थशास्त्र रा0इ0का0 नारायणकोटी रुद्रप्रयाग	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


  
(आर0 के0 कुंवर)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7263-76 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
4.6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 385 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016

विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइन्स पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइन्स पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री गिरीश चन्द्र थपलियाल	पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइंस रा0गां0न0वि0 ननूरखेड़ा देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री हरि शंकर चौरसिया	प्रवक्ता गणित रा0इ0का0ठेला नैलचामी टिहरी गढ़वाल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
3	श्री सुरेन्द्र सिंह	स0अ0 गणित रा0इ0का0 मैकणा परसिया अल्मोडा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
4	श्री सुरेश	स0अ0 गणित रा0उ0मा0वि0 सौन्धी टिहरी गढ़वाल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी

प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।


प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

*(आर0 कं0 कुंवर)*  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / ५२११-१० / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति



(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।



## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 386 / उ०आ०वि०स० / रा०गां०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016  
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी०जी०टी० भूगोल पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी०जी०टी० भूगोल पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री चन्दन सिंह असवाल	प्रवक्ता भूगोल रा०इ०का० जाखणीधार टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री लक्ष्मण सिंह	प्रवक्ता भूगोल रा०इ०का० सलियाणा चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
3	श्री गबर सिंह	स०अ० रा०गां०न०वि० गैरसैण चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैण चमोली
4	श्री दिगपाल सिंह	प्रवक्ता भूगोल रा०इ०का० गढ़कोट चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी
5	श्री चन्द्रप्रकाश	प्रवक्ता भूगोल रा०इ०का० कोटी अगुण्डा टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालतोली रूद्रप्रयाग

प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल०पी०सी० एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि०मी० की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन / एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(आर० के० कुंवर)  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7291-300 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
1.6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 387 /उ0आ0वि0स0/रा0गां0न0वि0/प्रतिनियुक्ति/2016-17 दिनांक 04 जून 2016

### विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 जीव विज्ञान पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 जीव विज्ञान पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0 विमल प्रसाद बहुगुणा	प्रवक्ता जीव विज्ञान रा0इ0का0रानीचौरी टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	डा0 विनोद कुमार दुबे	प्रवक्ता जीव विज्ञान रा0इ0का0सिद्धसौड़ जखोली रूद्रप्रयाग	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
3	डा0 वर्दान सिंह	प्रवक्ता जीव विज्ञान रा0इ0का0बगवाड़ी पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

  
(आइ0 कं0 कुंवर)

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7301-14 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति



(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 388 / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016

विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 इतिहास पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 इतिहास पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0जसपाल सिंह खत्री	प्रवक्ता इतिहास रा0इ0का0 अल्कापुरी चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री हरीश लाल आर्य	प्रवक्ता इतिहास रा0इ0का0 थल पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
3	डा0आनन्दपाल सिंह नेगी	प्रवक्ता राज0 विज्ञान रा0इ0का0 चौरिया रुद्रप्रयाग	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी
4	श्री कैलाश पुण्डेर	प्रवक्ता राज0 विज्ञान रा0इ0का0 धेरुवा पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय मालतोली रुद्रप्रयाग


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन / एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

  
(आर0 कौं कुंवर)  
04.06.2016

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7315-28 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
(उमा दत्त गोस्वामी)  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 389 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016  
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री दिनेश चन्द्र भट्ट	पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान रा0गां0न0वि0 देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री भुवन चन्द्र भट्ट	पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान रा0गां0न0वि0 चौनलिया अल्मोडा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोडा
3	श्री दलपत शर्मा	पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान रा0गां0न0वि0 शिकारपुर हरिद्वार	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
4	डा0 हेमचन्द्र जोशी	पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान रा0गां0न0वि0 कोटाबाग नैनी0	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
5	श्री गजेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान रा0इ0का0रोहेड़ा गैरसैण चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैण चमोली
6	श्री प्रवीण उनियाल	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान रा0इ0का0 बुंगालगडी तिमालीसैण पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
7	श्री सौरभ उनियाल	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान रा0इ0का0 कदूडखाल पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट पिथौरागढ़


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

  
(आर0 कं0 कुंवर)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7329-42 / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पौडी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
M. 6. 16

(उमा दत्त गोस्वामी)  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 390 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016  
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 गणित पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 गणित पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री तीरथ सिंह नेगी	प्रवक्ता गणित रा0इ0का0 कोटली चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री दरपान सिंह रौतेला	पी0जी0टी0 गणित रा0गां0न0वि0 कोटाबाग नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
3	श्रीमती साक्षी कुकरेती	प्रवक्ता गणित रा0इ0का0 खिरैरीखाल पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तुधार पौड़ी
4	श्री महिपाल सिंह	स0अ0 गणित रा0उ0मा0वि0 लिसेडीखुरेडी अल्मोडा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोडा
5	श्री राकेश चन्द्र	प्रवक्ता गणित रा0इ0का0 कूनीगाड़ चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सेट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

  
(आर० क० कुंवर)

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 343 - 56 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
(उमा दत्त गोस्वामी)  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / 391 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016

विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 हिन्दी पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 हिन्दी पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0 गणेशी चौहान	पी0जी0टी0 हिन्दी रा0गां0न0वि0 देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्रीमती संजीता देवी	टी0जी0टी0 हिन्दी रा0गां0न0वि0 शिकारपुर हरिद्वार	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
3	श्री जगदीश चन्द्र	प्रवक्ता हिन्दी रा0इ0का0 हरमनी चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
4	श्रीमती जयन्ती बुटोला	प्रवक्ता हिन्दी रा0इ0का0 चौरिया रुद्रप्रयाग	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी
5	श्री कपिलदेव सेमवाल	प्रवक्ता हिन्दी रा0इ0का0 प्रतापनगर टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
6	श्रीमती गीता	स0अ0 हिन्दी रा0इ0का0 काटल टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार पौड़ी
7	श्री रामकुमार मिश्रा	प्रवक्ता हिन्दी रा0इ0का0 दुनागिरी अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत

प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सेट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(आर0 के0कुंवर) 6.2016


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7354-40 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पौडी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
(उमा दत्त गोस्वामी)  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 398 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016

विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त पी0जी0टी0 अंग्रेजी पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में पी0जी0टी0 अंग्रेजी पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री भुवन चन्द्र कुनियाल	पी0जी0टी0 अंग्रेजी रा0गां0न0वि0 देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्रीमती बीनू पंवार	प्रवक्ता अंग्रेजी रा0आ0आ0वि0मखनपुर हरिद्वार	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
3	श्री अभिजात अजात शत्रु सिंह रावत	पी0जी0टी0 अंग्रेजी रा0गां0न0वि0 कोटाबाग नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
4	श्री मोहन चन्द्र जोशी	प्रवक्ता अंग्रेजी रा0इ0का0 बानना नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
5	श्रीमती अन्जूरानी	प्रवक्ता अंग्रेजी रा0इ0का0 गडकोट चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड उत्तरकाशी
6	श्री भुवन चन्द्र	टी0जी0टी0 अंग्रेजी रा0गां0न0वि0 गंगोलीहाट पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट पिथौरागढ़

प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।


प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(अप्र0 को0 कुंवर)  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 4371-84 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति

  
(उमा दत्त गोस्वामी)  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।